

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477] No. 477]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2019/श्रावण 30, 1941

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2019/SHRAVANA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2019

सं. 04/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क एनटी

सा.का.नि. 587(अ).—वित्त (सं0. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 120 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती हैं कि सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019, 01 सितंबर, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 267/78/19-सीएक्स8 (पार्ट III)]

माजिद खान, उपायुक्त सीएक्स-8

4324 GI/2019 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2019

No. 04/2019 Central Excise-NT

G.S.R. 587(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 120 of the Finance (No. 2) Act, 2019, the Central Government hereby appoints the 1st of September, 2019 as the date on which the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 shall come into force.

[F.No. 267/78/19-CX8(Pt III)]

MAZID KHAN, Dy. Commissioner CX-8

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2019

सं. 05/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क एनटी

सा.का.नि. 588(अ).—वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 (2019 का 23) की धारा 132 की उप धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है अर्थात् :—

- 1. लघुशीर्षक और प्रारंभ –
- 1. (1) ये नियम सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 कहलाएंगे।
 - (2) यह नियम एक सितंबर 2019 से प्रवृत्त होंगे
- 2. परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता ना हो,-
 - (क) "योजना" से तात्पर्य वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) अध्याय V के अंतर्गत निर्दिष्ट सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019 से है:
 - (ख) "धारा" से तात्पर्य है वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा;
 - (ग) "फार्म" से तात्पर्य इन नियमों के लिए फार्म संलग्न किए गए; और
 - (घ) इन नियमों में प्रयोग किए गए किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) में अध्याय V के अंतर्गत योजना में परिभाषित किए गए अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां उस योजना में उन्हें क्रमशः सौंपे गए अर्थ होंगे।
- **3. धारा 125 के अंतर्गत उद्घोषणा का फॉर्म-** (1) धारा 125 के अंतर्गत घोषणा इलेक्ट्रॉनिक रूप से https://cbic-gst.gov.in पर फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1 में घोषणाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कार्य किए जाने हेतु अधिकृत किसी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, द्वारा 31 दिसंम्बर 2019 से पूर्व किया जा सकता है।
- (2) प्रत्येक मामले के लिए एक अलग घोषणा दायर की जाएगी। स्पष्टीकरण इस नियम के उद्देश्य हेत्, किसी "मामले" से तात्पर्य-
 - (क) 💎 कारण बताओ नोटिस, या ऐसे नोटिस, जो 30 जून 2019 को मौजूद स्थिति के अनुसार लंबित है/हैं।
 - (ख) बकायों में कोई धनराशि; या

- (ग) ऐसे उद्धृत एक या एक से अधिक अपील या कोई पूछताछ या जांच या लेखा परीक्षा, जहां 30 जून 2019 को या उससे पहले राशि निर्धारित की गई है; या
- (घ) किसी स्वैच्छिक प्रकटीकरण से है।
- 4. **स्वतः प्राप्ति** —घोषणा की प्राप्ति पर, एक विशिष्ट संख्या वाली स्वतः पावती प्रणाली द्वारा उत्पन्न की जाएगी।
- 5. **पद नामित समिति का गठन** (1) धारा 126 के अंतर्गत पदनामित समिति में निम्नलिखित शामिल होगा:-
 - (क) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, और अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, ऐसे मामलों में जहां कर बकाया पचास लाख रुपये से अधिक है:
 - बशर्ते कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के किसी आयुक्तालय में केवल एक ही पदनामित समिति होगी।
 - (ख) अपर आयुक्त संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, और उपायुक्त या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, ऐसे मामलों में जहां कर बकाया पचास लाख या उससे कम हो:-
 - बशर्ते कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के एक आयुक्तालय में केवल एक ही पदनामित समिति होगी।
 - (ग) प्र. अपर महानिदेशक (स्थगन) या अपर महानिदेशक (स्थगन) महानिदेशालय, जीएसटी आसूचना, और अपर निदेशक संयुक्त निदेशक, जीएसटी आसूचना निदेशालय, दिल्ली।
- 2. पदनामित समिति के सदस्यों को खंड (क) और (ख) के मामले में प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, द्वारा नामित किया जाएगा।
- 3. पदनामित समिति के सदस्यों को उपनियम (1) के उपखंड (ग) के मामले में पूर्व महानिदेशक या महानिदेशक, जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा नामित किया जाएगा।
- **6. नामित समिति द्वारा सत्यापन और आकलन जारी करना आदि** (1) धारा 125, सिवाय जब वह शुल्क की राशि के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के एक मामले से संबंधित होती है, के अंतर्गत की गई घोषणा, घोषणा द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के साथ-साथ विभाग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निर्दिष्ट समिति सत्यापित की जाएगी।
- 2. धारा 127 की उप-धारा (1) और (4), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत वक्तव्य, देय राशि के ब्यौरों को उसमें स्थापित किए जाने हेतु फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 में नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उद्घोषणा की प्राप्ति के साठ दिनों की अवधिक के भीतर पदनामित समिति द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाएंगे।
- बशर्ते कि ऐसे किसी मामले, जहाँ पदनामित समिति द्वारा यथा निर्धारित देय राशि शून्य है और उच्च न्यायालय या सर्वोच न्यायालय में कोई अपील लंबित नहीं है।
- 3. जहाँ घोषणाकर्ता या उसकी ओर से कार्य किए जाने हेतु अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा देय राशि का अनुमान लगाया जाता है, जो घोषणाकर्ता द्वारा घोषित राशि से अधिक है, तो, नामोदिष्ट समिति, फॉर्म एसवीएलडीआरएस-2 में, नियम 3 के उप-नियम (1) के व्यक्तिगत सुनवाई के लिए किसी अवसर के साथ-साथ आवेदक द्वारा देय राशि के एक आकलन के अतंर्गत उद्घोषणा की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करेगी।
- 4. यदि घोषणाकर्ता या उसकी ओर से कार्य किए जाने हेतु प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपनियम 3 के अतंर्गत आकलन के साथ सहमित या असहमित दर्शाता है या लिखित प्रस्तुतियाँ या व्यक्तिगत सुनवाई से छूट देने या स्थगन पाना चाहता है, तो वह इसे दर्शाते हए इलेक्ट्रॉनिक रुप से एसवीएलडीआरएस-2क को फाइल करेगाः
- बशर्ते यदि व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख तक इस तरह के किसी समझौते या असहमति का संकेत नहीं दिया जाता है और घोषणाकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई के लिए समिति से समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो समिति उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मामले का फैसला करेगी।
- 5. उप-नियम (4) के अंतर्गत किसी स्थगन हेतु किसी अनुरोध की प्राप्ति पर, निर्दिष्ट समिति फॉर्म एसवीएलडीआरएस-2ख में इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस अनुदान को दे सकती है:
- बशर्ते स्थगन के बाद व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कमेटी के सामने पेश न हों, सिमिति उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मामले का निर्णय करेगी।
- 6. फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 जारी किए जाने की तिथि के 30 दिन के भीतर, नामित समिति केवल एक अंकगणितीय त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि को ठीक किए जाने हेतु अपने आदेश को संशोधित कर सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक रुप से एक संशोधित फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 जारी करके घोषणाकर्ता द्वारा या स्वतः ही बतायी जा रही इस तरह की त्रुटि पर रिकॉर्ड में ही स्पष्ट है।

- 7. **भुगतान करने का स्वरूप और ढंग-** प्रत्येक घोषणाकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रुप से राशि जैसा कि इसके जारी होने की तिथि से 30 दिनों की अविध के भीतर, निर्दिष्ट समिति द्वारा जारी किए गए फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 में दर्शाया गया है, का भुगतान करेगा।
- 8. उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से अपील वापस लेने का साक्ष्य- उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील या रिट याचिका या संदर्भ को वापस लेने का प्रमाण, जैसा भी मामला हो, धारा 127 की उप-धारा (7) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रुप से घोषित या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से कार्यवाई किए जाने हेत् अधिकृत किया जाएगा।
- 9. डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जारी करना- इस बात से संतुष्ट होने पर कि नामित समिति उसके द्वारा निर्धारित राशि फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 में दर्शाया गया और नियम 8 के अंतर्गत अपील या रिट याचिका या संदर्भ को वापस लेने का प्रमाण, यदि कोई हो, की प्रस्तुति पर इसका पूरा भुगतान किया गया है की घोषणा की है, तो उक्त भुगतान के 30 दिन के भीतर धारा 127 की उप-धारा (8) के अंतर्गत डिस्चार्ज एसवीएलडीआरएस-4 में एक डिस्चार्ज प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करेगा,

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहाँ नियम 6 के उप-नियम (2) में परन्तुक के आधार पर नामित समिति द्वारा कोई एसवीएलडीआरएस-3 जारी नहीं किया गया है, तो नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत घोषणा पत्र फाइल होने के 30 दिन के भीतर निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

[फा.सं. 267/78/19-सीएक्स8 (पार्ट III)]

माजिद खान, उपायुक्त सीएक्स-8

<u>अनुबंध</u> फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1

[वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 125 के तहत घोषणा पत्र के साथ सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियम, 2019]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियम, 2019

(फॉर्म भरने से पहले कृपया योजना को ध्यान से पढ़ें)

भाग-क

1. क्या आपके पास सीमाशुल्क या सेवाकर पंजीकरण सं. है

हाँ										គ	हीं								
2.	घोषणा	कर्ता	े का	न	ाम														
3.	घोषणा	कर्ता	े का	प	ता														
																			_
																			<u> </u>
4.	पिन को	ड																	
																			٦
5.	मोबाई	ल न	Ť.																

 पैन भाग-ख केन्द्रीय उत्पाद शुक्क या मेवाकर पंजीकरण सं. भोषणाकर्ता का नाम भोषणाकर्ता का पता पेन कोड मंग्राईल सं. मंग्राईल सं. कुपया हाँ या ना में उत्तर दें: क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ प्रति दिया पत्र तैयार किया जा पहा है? क्या आपको पिरान जावा काँ है तब योजना के तहत आपे यहने में असमर्थ हैं। क्या आपने पिरान जावा काँ है तब योजना के तहत आपे यहने में असमर्थ हैं। क्या आपने पिरान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ नहीं प्राथम पत्र तैयार किया गया? 		ई-मेल
8. आयुक्तालय का चुनाव करें। **** **** **** **** **** ***		
8. आयुक्तालय का चुनाव करें। **** **** **** **** **** ***		
 भाग-ख 1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सेवाकर पंजीकरण सं. 2. घोषणाकर्ता का नाम 3. घोषणाकर्ता का पता 4. पिन कोड 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन श्वा आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ नहीं पत तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आपे बड़ने में असमर्थ ही 2. क्या आपने निपटान आयोग में उत्त सामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ नहीं श्वा आपने निपटान आयोग में उत्त मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ नहीं था। 	7	पैन
भाग-ख 1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सेवाकर पंजीकरण सं. 2. घोषणाकर्ता का नाम 3. घोषणाकर्ता का पता 4. पिन कोड 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा पत्र तैयार का उत्हा है? श्वा आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ प्रति :- यह आपका जराब हाँ है तब योजना के तहत अपने बड़ने में असमर्थ ही 2. क्या आपको निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ प्रति :- नहीं प्रति :- विश्व स्वा अपने तैयार किया गया?		
भाग-ख 1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सेवाकर पंजीकरण सं. 2. घोषणाकर्ता का नाम 3. घोषणाकर्ता का पता 4. पिन कोड 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा पत्र तैयार का उत्हा है? श्वा आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ प्रति :- यह आपका जराब हाँ है तब योजना के तहत अपने बड़ने में असमर्थ ही 2. क्या आपको निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ प्रति :- नहीं प्रति :- विश्व स्वा अपने तैयार किया गया?	Q	शासाला का स्वात कों।
	0.	जायुक्तालय का युक्ताय करा
2. घोषणाकर्ता का नाम 3. घोषणाकर्ता का पता 4. पिन कोड 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ		<u>भाग-ख</u>
2. घोषणाकर्ता का नाम 3. घोषणाकर्ता का पता 4. पिन कोड 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ		
2. घोषणाकर्ता का नाम 3. घोषणाकर्ता का पता 4. पिन कोड 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ	1.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सेवाकर पंजीकरण सं.
3. घोषणाकर्ता का पता 4. पिन कोड 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा एत तैयार किया जा रहा है? हाँ ित्राटः- यि आपका जवाव हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ हैं) 2. क्या आपने निपटान आयोग में उत्त मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ ि नहीं ि प्रोपणा पत्र तैयार किया गया?		
3. घोषणाकर्ता का पता 4. पिन कोड 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा एत तैयार किया जा रहा है? हाँ ित्राटः- यि आपका जवाव हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ हैं) 2. क्या आपने निपटान आयोग में उत्त मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ ि नहीं ि प्रोपणा पत्र तैयार किया गया?		
4. पिन कोड 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ नहीं पत्र तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यदि आपका जवाव हाँ है तब योजना के तहत आने बढ़ने में असमर्थ है] 2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ नहीं घोषणा पत्र तैयार किया गया?	2	घोषणाकर्ता का नाम
4. पिन कोड 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ नहीं पत्र तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यदि आपका जवाव हाँ है तब योजना के तहत आने बढ़ने में असमर्थ है] 2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ नहीं घोषणा पत्र तैयार किया गया?		<u> </u>
4. पिन कोड 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ नहीं पत्र तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यदि आपका जवाव हाँ है तब योजना के तहत आने बढ़ने में असमर्थ है] 2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ नहीं घोषणा पत्र तैयार किया गया?	_	
 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ	3.	घोषणाकर्ता का पता
 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ		
 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ		
 5. मोबाईल सं. 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ	4.	पिन कोड
 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यिद आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है] 2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ ☐ नहीं ☐ घोषणा पत्र तैयार किया गया? 		
 6. ई-मेल 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यिद आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है] 2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ ☐ नहीं ☐ घोषणा पत्र तैयार किया गया? 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ ☐ नहीं ☐ पत्र तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है] 2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ ☐ नहीं ☐ घोषणा पत्र तैयार किया गया? 	<u>5.</u>	मोबाईल सं.
 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ ☐ नहीं ☐ पत्र तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है] 2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ ☐ नहीं ☐ घोषणा पत्र तैयार किया गया? 		
 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ ☐ नहीं ☐ पत्र तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है] 2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ ☐ नहीं ☐ घोषणा पत्र तैयार किया गया? 		
 7. पैन 8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ ☐ नहीं ☐ पत्र तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है] 2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ ☐ नहीं ☐ घोषणा पत्र तैयार किया गया? 	^	-2 2.
8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ	6.	् इ-मल T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ		
8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें: 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ	7	ਧੈਜ
 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ □ नहीं □ पत्र तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यिद आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है] 2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ □ नहीं □ घोषणा पत्र तैयार किया गया? 		
 1. क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा हाँ □ नहीं □ पत्र तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यिद आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है] 2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ □ नहीं □ घोषणा पत्र तैयार किया गया? 		
पत्र तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ हैं] 2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ नहीं चिषणा पत्र तैयार किया गया?	8.	कृपया हाँ या ना में उत्तर दें:
पत्र तैयार किया जा रहा है? [नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ हैं] 2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ नहीं चिषणा पत्र तैयार किया गया?	1.	क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा 🛮 हाँ 🔲 💢 नहीं 🔲
2. क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह हाँ घोषणा पत्र तैयार किया गया?		पत्र तैयार किया जा रहा है?
घोषणा पत्र तैयार किया गया?		
	2.	
		[नोटः- यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है]
3. क्या आप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में आगे प्रस्तुत हाँ नहीं करने के लिए उत्पाद शुल्क योग्य माल के संदर्भ में यह घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं?	3.	

	[नोटः- यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है]				
4.	क्या आप प्रतिदाय, त्रुटि के कारण बताओं नोटिस के संदर्भ में यह घोषणा पत्र तैयार कर	हाँ	नः	हीं [
	रहे हैं?				
	[नोटः- यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है]			<u>C</u> : [
5.	क्या इस मामले में न्यायिक निर्णय के संदर्भ में कोई अंतिम सुनवाई हुई है या 30.06.2019 या उससे पहले कोई अपील दायर की गई है जिसके लिए यह घोषणा पत्र	हाँ	नः	ફા ા	
	तियार किया जा रहा है?				
	 [नोटः- यदि आपका जवाब हाँ है तब आप मुकदमेबाजी की श्रेणी के तहत योजना में आगे				
	बढ़ने में असमर्थ है]				
6.	क्या माल/सेवाओं के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या वित्त	हाँ	नः	हीं [
	अधिनियम, 1994 के अध्याय V के तहत किसी भी ऐसे मामले में आपकी लेखा-परीक्षा				
	हुई है, जिसके लिए यह घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है?				
	[नोटः- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे				
	बढ़ने में असमर्थ है]				
7.	क्या आपको संचालित होने वाली लेखा-परीक्षा के संदर्भ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी	हाँ	नः	रीं [
	से लिखित में कुछ प्राप्त हुआ है?				
	[नोटः- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे				
	बढ़ने में असमर्थ है]				
8.	क्या आपका किसी ऐसे मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या वित्त	हाँ	नः	रीं [
	अधिनियम, 1994 के अध्याय V के तहत माल, सेवाओं अथवा दोनों के संदर्भ में कोई				
1					
	पूछताछ या निरीक्षण किया गया है, जिसके लिए यह घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है:				
	**				
	तेह ह				
	है: (क)परिसरों की खोज				
	हैं: (क)परिसरों की खोज (ख) समन जारी करना				
	हैं: (क)परिसरों की खोज (ख) समन जारी करना (ग) लेखा दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता				
	हैं: (क)परिसरों की खोज (ख) समन जारी करना (ग) लेखा दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता (घ) बयानों की रिकॉर्डिंग [नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं]				
9.	हैं: (क)परिसरों की खोज (ख) समन जारी करना (ग) लेखा दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता (घ) बयानों की रिकॉर्डिंग [नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है] क्या आपने उस अवधि के लिए कोई रिटर्न दाखिल किया है जिसके लिए घोषणा की जा	हाँ	नः	हीं [
9.	हैं: (क)परिसरों की खोज (ख) समन जारी करना (ग) लेखा दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता (घ) बयानों की रिकॉर्डिंग [नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं] क्या आपने उस अवधि के लिए कोई रिटर्न दाखिल किया है जिसके लिए घोषणा की जा रही है कि शुल्क की राशि देय है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है?	हाँ	नः	हीं [
9.	है: (क)परिसरों की खोज (ख) समन जारी करना (ग) लेखा दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता (घ) बयानों की रिकॉर्डिंग [नोट:- यिद आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है] क्या आपने उस अविध के लिए कोई रिटर्न दाखिल किया है जिसके लिए घोषणा की जा रही है कि शुल्क की राशि देय है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है? [नोट:- यिद आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे	हाँ	नः	हीं [
9.	है: (क)परिसरों की खोज (ख) समन जारी करना (ग) लेखा दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता (घ) बयानों की रिकॉर्डिंग [नोट:- यिद आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बड़ने में असमर्थ है] क्या आपने उस अविध के लिए कोई रिटर्न दाखिल किया है जिसके लिए घोषणा की जा रही है कि शुल्क की राशि देय है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है? [नोट:- यिद आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बड़ने में असमर्थ है]				
9.	हैं: (क)परिसरों की खोज (ख) समन जारी करना (ग) लेखा दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता (घ) वयानों की रिकॉर्डिंग [नोट:- यिद आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं] क्या आपने उस अवधि के लिए कोई रिटर्न दाखिल किया है जिसके लिए घोषणा की जा रही है कि शुल्क की राशि देय है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है? [नोट:- यिद आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं] क्या इस मामले से संबंधित देय कर किसी पूछताछ, जांच या लेखा-परीक्षा के अधीन है	हाँ	नः		
	हैं: (क)परिसरों की खोज (ख) समन जारी करना (ग) लेखा दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता (घ) बयानों की रिकॉर्डिंग [नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है] क्या आपने उस अवधि के लिए कोई रिटर्न दाखिल किया है जिसके लिए घोषणा की जा रही है कि शुल्क की राशि देय है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है? [नोट:- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है] क्या इस मामले से संबंधित देय कर किसी पूछताछ, जांच या लेखा-परीक्षा के अधीन है अथवा दिनांक 30.06.2019 या उससे पहले परिमाणित नहीं किए गए हैं?				
	हैं: (क)परिसरों की खोज (ख) समन जारी करना (ग) लेखा दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता (घ) वयानों की रिकॉर्डिंग [नोट:- यिद आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं] क्या आपने उस अवधि के लिए कोई रिटर्न दाखिल किया है जिसके लिए घोषणा की जा रही है कि शुल्क की राशि देय है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है? [नोट:- यिद आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं] क्या इस मामले से संबंधित देय कर किसी पूछताछ, जांच या लेखा-परीक्षा के अधीन है				

9. आवेदन की श्रेणी

9.1 मकदमा	9.1.1 एससीएन	क्यामामलापीआ	ारएडीजी/एडीजी (न्यार् अधिनिर्णय के तहत		य) दिल्ली द्वारा	हाँ 🔲	नहीं
3 14411	दिनांक 30.06.20	, , ,	पूटी/कर/ ड्यूटी/कर/ चुंगी चुंगी की राशि	जुर्माने की राशि	विलंब शुल्क	जमा की गई राशि, यदि कोई हो	वकाया कर में से कर राहत घटाकर

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

	19 तक	क	ख	ग	घ	ङ	च		छ			
	लंबित व्याज/ विलंब शुल्क/ जुर्माना (यदि कोई हो) और 30.06.20 19 से पहले कोई सुनवाई हो?					-			\$			
	9.1.1 एससीएन दिनांक 30.06.20	एससीएन और दिनां	सं. जुर्माने क की राशि	विलंब शुल्क की राशि			। वकाया कर में से	। राहत कर घटाकर				
	19 तक लंबित	क	ख	ग				घ				
	विलंब शुल्क/जुर्मा ना (यदि कोई हो) और 30.06.20 19 से पहले कोई सुनवाई नहीं हुई हो?											
	9.1.3 Gania 30.06.20 19 को लंबित याचिका, 30.06.20 19 से पहले कोई सुनवाई न हुई हो	याचि फ का सं. और दायर करने की तिथि	ोरम गै-आई-ओ सं और दिनांक	ओ-आई- ओ में सुनिश्चित ड्यूटी/कर/ चुंगी	ड्यूटी/कर/चुंगी की राशि	क्या ओ- आई-ओ संबंधी कोई विभा- गीय याचिका लंबित है	विवादास्पद ड्यूटी/कर/चुं गी की राशि	विवादस्पद ड्यूटी की कुल राशि	जुमिन की कुल राशि	वि लंब शुल्क की कुल रा	पूर्व जमा/ किसी अन्य जमा ड्यूटी की राशि	वका या कर में से कर राह त घटा कर
	हुई हो	क	क1 ख	ग	ग	ङ	च	छ	ज	झ	স	ट
							घोषणाकर्ता व याचिका इंड्यूटी/कर/ रार्गि चुंगी	गीय याचि का (वैक ल्पिक क्षेत्र)	गी राशि			
9.2 एपीआरई एआरएस	9.2.1 याचिका दायर नहीं	आदेश सं. और प्राप्ति तारीख	फोरम की	ओ-आई- ओ या ओ- आई-ओ में सुनिश्चित ड्यूटी/कर/ चुंगी	ड्यूटी/कर/चुंगी की राशि	ओ- आई- ओ अथवा ओ- आई-ए पर अधि- रोपित की गई जुमीन की	ओ-आई-ओ अथवा ओ- आई-ए पर अधिरोपित की गई विलंब शुल्क की राशि	पूर्व जमा/किसी अन्य जमा ड्यूटी की राशि	वकाया कर में गे	कर राः	ह्त घटाकर	
		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ		ज		

	9.2.2	अवधि जिसके	रिटर्न	माल/सेवा	विवरण में	विवरण		वकाया कर में से कर राहत घटाकर
	विवरण में	लिए रिटर्न	दाखिल	ओं का	घोषित	में घोषित		
	घोषित देय	दाखिल किया	किए जाने	ब्यौरा	देय/ड्यूटी/कर/	देय		
	वकाया कर,		की तिथि		चुंगी किन्तु	वकाया		
	किन्तु चुकाया				चुकाया नहीं	कर,		
	नहीं				गया	किन्तु		
	1.6					चुकाया नहीं		
						नहीं		
		क	ख	ग	घ	ङ		च
9.3 चांज	9.3.1	ड्यूटी/कर/चुंगी	परिमाणि	परि-	माल/सेवाओं का	शामिल	जमा की गई	वकाया कर में से कर राहत घटाकर
पूछताछ	डी जी जी आई			माणित	ब्यौरा	मुद्दे	राशि	
रूळलाळ या लेखा-	दावारा जांच		त कुल राशि	राशि की				
परीक्षा	पानारा जान			संदर्भ सं.				
1 (1411				और प्रेषण				
				तिथि				
		क	ख	ग	घ	ङ	च	ন্ত
				· ·	'	-	'	٩
	9.3.2	ड्यूटी/कर/चुंगी	परिमाणि	परि-	माल/सेवाओं का	शामिल	जमा की गई	वकाया कर में से कर राहत घटाकर
		545111113 3 11			ब्यौरा व्यौरा	मुद्दे	राशि	4 114 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
	आयुक्तालय		त कुल राशि	माणित राशि की	- 11 (1	3 બ	XII (I	
	द्वारा जांच							
				संदर्भ सं.				
				और प्रेषण				
		<u>क</u>	ख	तिथि ग	ঘ	ङ	_	
		ৰ প	ণ্ড	•1	9	5.	च	ন্ত
		ड्यूटी/कर/चुंगी	परिमाणि	2	माल/सेवाओं का	शामिल	जमा की गई	
	9.3.3 लेखा-	ड्यूटा/कर/चुगा		परि-	माल/सवाआ का ब्यौरा		जमाकागइ राशि	वकाया कर में से कर राहत घटाकर
	परीक्षा		त कुल राशि	माणित	<u> </u>	मुद्दे	राशि	
			राशि	राशि की				
				संदर्भ सं.				
				और प्रेषण				
				तिथि				
		क	ख	ग	घ	ङ	च	ন্ত
9.4 स्वैच्छिव	ह प्रकटीकरण	ड्यूटी/कर/चुंगी	परिमाणि	शामिल	माल/सेवाओं का			वकाया कर में से कर राहत घटाकर
			त कुल	अवधि	ब्यौरा	मुद्दे		
			राशि					

10. क्या आप व्यवस्था के तहत आंकलित किए गए कर राहत में से देय कर घटाने से सहमत हैं? हाँ/नहीं

1	1.	यदि	नहीं,	तो	असहमति	का	कारण	बताए:
---	----	-----	-------	----	--------	----	------	-------

	 `	2. 2. 2		

12. आपके आकलन के अनुसार कर राहत में से देयकर घटाकर राशि

<u>सत्यापन</u>

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019 को पढ़ एवं समझ लिया है और योजना के प्रावधानों और शर्तों का पालन करूँगा, और घोषणा पत्र में दी गई सूचना सही एवं पूर्ण है एवं प्रसुत्त किए गए देय करों और अन्य ब्यौरों की राशि वस्तुतः सही है। मैं योजना के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा जमा की गई राशि अदा कर दूँगा।

मैं योजना के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा जमा की गई राशि अदा कर दुँगा।

पूर्वावलोकन

		त प्रतिनिधि/घोषणाकर्ता का नाम:		
दिनांक:	तिथि/माह/2019			
			1	

<u>फार्म एसवीएलडीआरएस-2</u>

[पदनामित समिति द्वारा जारी किए जाने हेतु सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, के साथ पठित 2019 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत आकलन]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019

उद्घोषणा सं									
एसवीएलडीअ	ारएस-2 सं .	••••••							
आयुक्तालय/र्ड	ोजीजीआई, दिर्ल्ल	ì							
जोन/डीजीजी	आई, दिल्ली								
संदर्भित) ने वि	रण सं./गैर निर्धानि गेत्त (सं. 2) अधिनि फाइल की है;	यम, 2019 व		_				के रूप में	<u>-</u>
समिति, अभि 2019 के अंत	त्त (सं. 2) अधिनि लेख आधारित त्थ तर्गत उक्त उद्घोष तरा देय निम्नलिखि	यों पर विचा णा द्वारा आ	र करने के पश् विष्ट उसके/उग	धात, एतद्वाः पकी/उनके व	रा सबका वि कर बकायों	वेश्वास (वि	वेरासत विवाद स	माधान)	योजना,
श्रेणी	माल/सेवा का विवरण	समाविष्ट मसौदा	समयावधि	बकार	ा कर	कर राहत	ड्यूटी का पूर्व- निवेश या कोई अन्य निवेश	देय अनु रा	ाुमानित शि
क	ख	ग	ঘ	ड		च	छ	ū	ज -
				नाम* ई1	राशि ई2			नाम* एच1	राशि एच2
									,
*ड्यूटी/कर/उ	उपकर का नाम								
			व्यक्तिगत	सुनवाई हेतु	नोटिस				
उनसे/ समिति के सम	र्जा, नामित समिति /2019 को अक्ष व्यक्तिगत सुन छित हो तो कृपया	प्रा वाई हेतु उपन्	तः/सायं बजे स्थित होने का	 अनुरोध किय	 या जाता है।		((पता) पर	र नामित
			<u>नामित</u>	समिति के स	दस्य				
1. -	गम:					2.	नाम:		
τ	गदनाम:						पदनाम:		
	(यह ए	क कंप्यूटर ज	नित प्रिंट है। ३	गतः किसी ह	स्ताक्षर की उ	भावश्यकत	ा नहीं है)		
स्थान									
दिनांक									
	पूर्वावलोक	ज् न					प्रस्तुत		

<u>फार्म एसवीएलडीआरएस-2क</u>

[सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 के निमय 6 के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत लिखित प्रस्तुतियाँ, व्यक्तिगत सुनवाई की छूट और स्थगन]

	सबका विश्वास (विरासत विवाद समा	ाधान) योजना, 2	019		
1.	क्या आप एसवीएलडीआरएस-2 सं. में अनुमान से सहमत हैं	हॉ	🗀 नहीं		
2.	क्या आप लिखित प्रस्तुति करना चाहते हैं:	हाँ	□ नहीं		
3.	असहमति के कारणों सहित लिखित प्रस्तुति:				
	आप अपनी प्रस्तुति के समर्थन में दस्तावेज अधिभारित करना च	गहते हैं? हाँ	ा □ नहीं	i 🗆	
यदि	हाँ, तो दस्तावेज अधिभारित करें				
5. क्या	आप व्यक्तिगत सुनवाई से माफी चाहते हैं? हाँ [— नहीं			
6. क्या	आप व्यक्तिगत सुनवाई की पेशकश को स्थगित करना चाहते हैं?	>	हाँ 🗆	नहीं	
7. सुनवा	ाई के लिए पसंदीदा तिथि बताएं: तिथि/माह/2019	9			
8. घोषण	गाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम:				
तिथि:	तिथि/माह/2019				
	पूर्वावलोकन	Г			

<u>फार्म एसवीएलडीआरएस-2ख</u>

[सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 के निमय 6 के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत स्थगन के पश्चात् व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019

सेवा में,	
श्री/सुश्री/मैसर्स	····
पंजीकरण सं	
	स (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 के अतंर्गत आपके द्वारा फाइल की गई बंध में नामित समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई(पता) के
	को(प्रातः/सायं) बजे नियत की गई है।
	उपस्थित होने में विफलता के मामले में नामित समिति आप के और आगे संदर्भ के बिना कानूनी प्रावधानों के अनुसरण में आपकी उद्घोषणा के संबंध में एक निर्णय लेगी।
	नामित समिति के सदस्य
1. नाम:	2. नाम:
पदनाम:	पदनाम:
(यह एक कंप्यूट	र जनित प्रिंट है। अतः किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)
स्थान	
दिनांक	
पूर्वावलोकन	प्रस्तुत
	फार्म एसवीएलडीआरएस-3
[नामित समिति द्वारा जारी किए जाने हे	हेतु सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 के नियम 6
के साथ पठित वि	न्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत वक्तव्य]
सबका	ा विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019
उद्घोषणा सं	
एसवीएलडीआरएस-3 सं	
आयुक्तालय/डीजीजीआई, दिल्ली	
जोन/डीजीजीआई, दिल्ली	
	संवाले श्री/सुश्री/ मैसर्स (एतश्मिनपश्चात् उद्घोषणाकर्ता के रूप में 19 की धारा 125 के अतंर्गत एक उद्घोषणा सं दिनांक
नामित समिति, अभिलेख आधारित त्थ्यं (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अ	19 की धारा 127 की उप-धारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा योजना के अंतर्गत उक्त उद्घोषणा द्वारा आविष्ट धिनियम, 1944/वित्त विधेयक, 1994/उपकर अधिनियम) कर बकायों के पूर्ण और द्वारा देय निम्नलिखित आकलन राशि को निर्धारित करती हैः

श्रेणी	माल/सेवा का विवरण	समाविष्ट मसौदा			बकाया कर		राहत निवेश या कोई अन्य निवेश		निवेश या कोई		ुमानित शि
क	ख	ग	घ	ड		च	छ	7	ज		
				नाम* ई1	राशि ई2			नाम*	राशि		
								एच1	एच2		

								एच1	एच2
*ड्यूटी/कर/उप	कर का नाम								
<u>टिप्पणी</u> :									
(1) इर	न वक्तव्य की तिथि स	, ਜੇ ਤੀ ਜ਼ ਤਿਤ	के भीका के।		ਜੁਕਾਕ ਕਿ ਸ	चाने नेन	घोषणास्त्री सो		т [Э3 от
	त वक्तव्य का ।ताय या गया है।	। स तास ।दन	क मातर दय	राशिका मु	,गताम ।कए	जान हतु	वाषणाकता का	एतद्दवार	। ।मदश
(2) वित्त	ा (सं. 2) अधिनिय	ाम, 2019 की	ं धारा 127 ^{हे}	के उप-धारा	(7) में निहि	्त प्रावधा	ानों के अनुसरण मे	र्ग, कर ब	काया के
संबंध	ध में किसी आदेश	और इस तरह	के आहरम के	प्रमाण प्रस्तु	त किए जाने	ने विरुद्ध ि	नेर्णायक को		
(उच्च	न्यायालय के नाम	म का उल्लेख)	उच्च न्यायालय	ा या उच्चतम	न्यायालय से	ो पहले रि	ट याचिका/अपील	संदर्भ क	ो वापस
लेन	ा होगा;								
			<u>नामितः</u>	समिति के स	दस्य				
1. ਜ	ाम:					2	गम:		
ч	दनाम:					प	दनाम:		
	(यह ए	क कंप्यूटर जि	नेत प्रिंट है। अ	तः किसी हस	ताक्षर की अ	ावश्यकत [.]	ा नहीं है)		
स्थान		ζ.							
					ı				٦ .
						पूर्वावल	ोकन		
									J
					г				_
						प्रस्तुत			
					L				_
			उद्घोष	णाकर्ता के वि	नेए				
भुगतान हेतु व	त्रालान लिंक की सु	विधा							
ला वापस लेने	के प्रमाण के दस्ता	वेज अपलोड व	_{करने} की प्रसुवि	ोधा					
षणाकर्ता/अधि	कृत प्रतिनिधि का	नाम:							
			l						

	•	-
शुल्क भुगतान हे	तु चालान लिंक की सुविधा	
मामला वापस ले	नेने के प्रमाण के दस्तावेज अपलोड करने की प्रसु	विधा
घोषणाकर्ता/अ	धिकृत प्रतिनिधि का नाम:	
दिनांक: ित	तेथि/माह/2019	

पूर्वावलोकन

प्रस्तुत

<u>फार्म एसवीएलडीआरएस -4</u>

[सबका विश्वास (वरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 के नियम 9 के साथ पठित वित्त (सं0. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत कर बकाया के पूर्ण और अंतिम व्यवस्थापना हेतु निर्वहन प्रमाणपत्र]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019

	4	षमगापावात (,।परात्तरा ।पपा	प तमावाग)	याजना ।नय	11441, 21	פוע		
उद्घोषणा सं									
एसवीएलडीआर	.एस-4 सं0								
आयुक्तालय/डीर्ज	ोजीआई, दिल्ली								
जोन/डीजीजीआ	ई, दिल्ली								
	ा संख्या व धेनियम, 2019 की						(घोषणाकर्ता का	नाम और	पता) ने
द्वारा नामित स		गए ब्यौरे के	अनुसार कर व	बकायों के पूण	र्ग और अंनि	नेम व्यवस्थ	के एक वक्तव्य को ग्रापन के प्रति योज		
श्रेणी	माल/सेवा का विवरण	समाविष्ट मसौदा	समयावधि	बकार	ा कर	कर राहत	ड्यूटी का पूर्व- निवेश या कोई अन्य निवेश	देय अनुम राधि	
क	ख	ग	घ	ड नाम* ई1	राशि ई2	च	ন্ত	ज नाम*	राशि
				गाम इ।	राशि इट			पाम एच1	एच2
और जबकि घोष (शाखा का नाम)		कर के संबंध मे कक्ष एक अपील	ांं किसी भी आ फाइल की थी	और जबकि वि	वेत्त (सं0.2)		(आयुक्त (अपील) न, 2019 की धारा		
या		, 5 (ii 5i ii	XI 41 XI XII X	2 (1.1811 - 911)	6,				
और जबकि घो	प्रणाकर्त्ता ने देय क च्चतम न्यायालय के						न्यायालय के नाम	ा का उल्ले	ख) उच्च
	क्त रिट याचिका/अ ह्मी वापसी के प्रस्तु				2019 की ध	गरा 127 ⁻	की उप-धारा (7) मे	ां निहित प्र	विधानों
	⁻ (सं0. 2) अधिनिय षणकर्ता को निर्वह			ो उप-धारा (8) द्वारा प्रद	त्त शक्तियों	का प्रयोग करते हु	ए, नामित	समिति
	उपर्युक्त घोषणकर्ता थापन के प्रति घोषण					में नि	र्धारित देय कर के	पूर्ण और	अनंतिम
(ख) उ	पर्युक्त मामले के सं	बंध में किसी र्भ	ो आगे की ड्यूट	ी, ब्याज या	जुर्माना के भु	गतान से घं	ोषणकर्त्ता को डिस्न	वार्ज करना	;
(ग) उ	उपर्युक्त मामले के र	मंबंध में उक्त	अधिनियमन वे	के अंतर्गत शा	स्ति के अधि	ारोपण से	या केन्द्रीय उत्पाद	शुल्क अधि	धेनियम

(ঘ)

(a) इस डिस्चार्ज प्रमाणपत्र के सबंधे में वित्त (नंबर 2) अधिनियम 2019 की धारा 129 और 131 के प्रावधान लागू होंगे ।

किसी कार्यवाही की स्थापना से, योजना में समाविष्ट प्रावधानों के अध्यधीन, प्रतिरक्षा प्रदान करना; और

1944/वित्त अधिनियम 1944/का अध्याय v/....... उपकर अधिनियम) के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अभियोजन हेतु

नामित समिति के सदस्य

1. नाम: 2. नाम:

पदनाम: पदनाम:

(यह एक कंप्यूटर जनित प्रिंट है। अत: किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)

स्थान.....

तिथि



प्रस्तुत

सेवा में

- 1. घोषणाकर्त्ता
- 2. अधिनिर्णयन अधिकारी
- 3. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीजीएसटी (क्षेत्राधिकार)
- 4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीजीएसटी/प्र.महानिदेशक, डीजीजीआई
- 5. संबंद्ध अपीलीय मंच

एनबी: जो भी लागू न हो उसे हटा दें।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2019

No. 05/2019 Central Excise-NT

G.S.R. 588(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 132 of the Finance (No. 2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- **1. Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the 1st day of September, 2019.
- **2. Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a) "Scheme" means the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019, specified under Chapter V of the Finance (No.2) Act, 2019 (23 of 2019);
- (b) "section" means the section of the Finance (No. 2) Act, 2019;
- (c) "Form" means the Form annexed to these rules;
- (d) Words and expressions used in these rules but not defined in these rules and defined in the Scheme shall have the meanings respectively assigned to them in the Scheme.
- **3. Form of declaration under section 125 .-** (1) The declaration under section 125 shall be made electronically at https://cbic-gst.gov.in in Form SVLDRS-1 by the declarant ,on or before the 31st December,2019.
- (2) A separate declaration shall be filed for each case.

Explanation. - For the purpose of this rule, a "case" means -

- (a) a show cause notice, or one or more appeal arising out of such notice which is pending as on the 30^{th} day of June, 2019; or
- (b) an amount in arrears; or
- (c) an enquiry or investigation or audit where the amount is quantified on or before the 30th day of June, 2019; or
- (d) a voluntary disclosure.
- **4. Auto acknowledgement.-** On receipt of declaration, an auto acknowledgement bearing a unique reference number shall be generated by the system.

- 5. Constitution of designated committee.- (1) The designated committee under section 126 shall consist of -
- (a) the Principal Commissioner or Commissioner of Central Excise and Service Tax, as the case may be, and the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Central Excise and Service Tax, as the case may be, in a case where the tax dues are more than rupees fifty lakh:

Provided that there shall be only one such designated committee in a Commissionerate of Central Excise and Service Tax;

(b) the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Central Excise and Service Tax, as the case may be, and the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Central Excise and Service Tax, as the case may be, in a case where the tax dues are rupees fifty lakh or less:

Provided that there will only be one such designated committee in a Commissionerate of Central Excise and Service Tax;

- (c) the Principal Additional Director General (Adjudication) or Additional Director General (Adjudication), Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence (DGGI), and Additional Director or Joint Director, Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence(DGGI), Delhi.
- (2) The members of the designated committee mentioned in clause (a) and (b) of sub-rule (1) shall be nominated by the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax, as the case may be.
- (3) The members of the designated committee mentioned in clause (c) of sub-rule (1) shall be nominated by Pr. Director General or Director General, Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence (DGGI), as the case may be.
- **6. Verification by designated committee and issue of estimate, etc.-** (1) The declaration made under section 125, except when it relates to a case of voluntary disclosure of an amount of duty, shall be verified by the designated committee based on the particulars furnished by the declarant as well as the records available with the Department.
- (2) The statement under sub-sections (1) and (4) of section 127, as the case may be, shall be issued by the designated committee electronically, within a period of sixty days from the date of receipt of the declaration under sub-rule (1) of rule 3, in Form SVLDRS-3 setting forth therein the particulars of the amount payable:

Provided that no such statement shall be issued in a case where the amount payable, as determined by the designated committee is nil and there is no appeal pending in a High Court or the Supreme Court.

- (3) Where the amount estimated to be payable by the declarant exceeds the amount declared by the declarant, then, the designated committee shall issue electronically, within thirty days of the date of receipt of the declaration under sub-rule (1) of rule 3, in Form SVLDRS-2, an estimate of the amount payable by the declarant along with a notice of opportunity for personal hearing.
- (4) If the declarant wants to indicate agreement or disagreement with the estimate referred to in sub-rule (3) or wants to make written submissions or waive personal hearing or seek an adjournment, he shall file electronically Form SVLDRS-2A indicating the same:

Provided that if no such agreement or disagreement is indicated till the date of personal hearing and the declarant does not appear before the designated committee for personal hearing, the committee shall decide the matter based on available records.

(5) On receipt of a request for an adjournment under sub-rule (4), the designated committee may grant the same electronically in Form SVLDRS-2B:

Provided if the declarant does not appear before the designated committee for personal hearing after adjournment, the committee shall decide the matter based on available records.

- (6) Within thirty days of the date of issue of Form SVLDRS-3, the designated committee may modify its order only to correct an arithmetical error or clerical error, which is apparent on the face of record, on such error being pointed out by the declarant or *suo motu* by issuing electronically a revised Form SVLDRS-3.
- **7. Form and manner of making the payment.-** Every declarant shall pay electronically the amount, as indicated in Form SVLDRS-3 issued by the designated committee, within a period of thirty days from the date of its issue.
- **8. Proof of withdrawal of appeal from High Court or Supreme Court.-** Proof of withdrawal of appeal or writ petition or reference before a High Court or the Supreme Court, as the case may be, under sub-section (7) of section 127 shall be furnished electronically by the declarant.
- **9. Issue of discharge certificate.-** The designated committee on being satisfied that the declarant has paid in full the amount as determined by it and indicated in Form SVLDRS-3, and on submission of proof of withdrawal of appeal or writ petition or reference referred to in rule 8, if any, shall issue electronically in Form SVLDRS-4 a discharge certificate under sub-section (8) of section 127 within thirty days of the said payment and submission of the said proof, whichever is later:

Provided that in a case where Form SVLDRS-3 has not been issued by the designated committee by virtue of the *proviso* to sub-rule (2) of rule 6, the discharge certificate shall be issued within thirty days of the filing of declaration referred to in sub-rule (1) of rule 3.

[F. No. 267/78/19 - CX8 (Pt III)]

MAZID KHAN, Dy. Commissioner CX-8

Form SVLDRS-1

[Declaration under section 125 of the Finance Act (No. 2), 2019 read with rule 3 of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019]

SABKA VISHWAS (LEGACY DISPUTE RESOLUTION) SCHEME, 2019

(Please read the Scheme carefully before filling the form)

Part-A

1.	Do you have a Central Excise or Service Tax Registration No.	
Yes	Yes No	
2.	Name of the Declarant	
3.	Address of the declarant	
		
4.	Pin Code	
5.	Mobile Number	
6.	Email	
7.	PAN	
8.	Select a Commissionerate	
	<u>Part-B</u>	
1.	Central Excise or Service Tax Registration No.	
2.	Name of the declarant	

3.	Address of the declarant	
		
4.	Pin Code	
5.	Mobile Number	
6.	Email	
7	PAN	
7.		
<u> </u>		
8.	Please answer Yes or No:	
1.	Have you been convicted for an offence for the matter for which this declaration is	Yes No
1.	being made?	
	[Note: If you answer YES to this question, you are ineligible to proceed further	
	under the Scheme.]	Var. Na
2.	Have you filed an application in the Settlement Commission for the case for which this declaration is being made?	Yes No
	[Note: If you answer YES to this question, you are ineligible to proceed further	
	under the Scheme.]	
3.	Are you seeking to make this declaration with respect to excisable goods set forth in the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (specified petroleum and	Yes No
	tobacco products)?	
	[Note: If you answer YES to this question, you are ineligible to proceed further	
4	under the Scheme.]	V N-
4.	Are you seeking to make this declaration with respect to a show cause notice of refund/erroneous refund?	Yes No
	[Note: If you answer YES to this question, you are ineligible to proceed further	
	under the Scheme.]	
5.	Whether final hearing with regard to a matter in adjudication or appeal has taken place on or before 30.06.2019 for the matter for which this declaration is being	Yes No
	made?	
	[Note: If you answer YES to this question, you are ineligible to proceed further	
-	under the LITIGATION category.]	V N.
6.	Have you been subjected to any audit under the Central Excise Act,1944 or Chapter V of the Finance Act, 1994 in respect of the goods/services or both for	Yes No
	which this declaration is being made?	
	[Note: If you answer YES to this question, you are ineligible to proceed further	
7.	under the VOLUNTARY DISCLOSURE category.] Have you received any written communication from a Central Excise Officer with	Yes No
/.	regard to any audit to be conducted?	
	[Note: If you answer YES to this question, you are ineligible to proceed further	
8.	under the VOLUNTARY DISCLOSURE category.] Have you been subjected to any enquiry or investigation under the Central Excise	Yes No
8.	Act, 1944 or Chapter V of the Finance Act, 1994 in respect of the goods/services or	res No
	both for which this declaration is being made by way of any of the following:	
	(a) search of premises	
	(b) issuance of summons	
	(c) requiring the production of accounts, documents or other evidence	
	(d) recording of statements	

	[Note: If you answer YES to this question, you are ineligible to proceed further under the VOLUNTARY DISCLOSURE category.]		
9.	Have you filed any return for the period for which declaration is being made showing the amount of duty to be payable but not having paid it? [Note: If you answer YES to this question, you are ineligible to proceed further under the VOLUNTARY DISCLOSURE category.]	Yes	No
10.	Have the tax dues with regard to the matter under enquiry, investigation or audit NOT been quantified on or before 30.06.2019? [Note: If you answer YES to this question, you are ineligible to proceed further under the INVESTIGATION, ENQUIRY OR AUDIT category.]	Yes	No

	9. Catego	ry of a	applica	ation									
9.1 Litigation	9.1.1 SCN involving duty along with interest/late fee/penalty (if any) pending as on 30.06.2019 and final	Whether Delhi?	the case i	s under adjudie	cation by Pr. AD	G/ADG (Adjudi	cation),	Yes	No				
	hearing not held before 30.06.2019	SCN No	. & Date	Duty/Tax/ Cess	Amount Of Duty/Tax/ Cess	Amount of Penalty	Amount of Late Fee	Amount of Deposit Made, If Any		Tax Due	s Less Tax Re	elief	
		A	A	В	С	D	Е	F			G		
	9.1.2 SCN involving penalty or late fee only	SCN No	. & Date	Amount of Penalty	Amount of Late Fee			Tax I	Dues Less Tax Re	elief			
	pending as on 30.06.2019 and final hearing not held before 30.06.2019	1	A	В	С				D				
	9.1.3 Appeal pending as on 30.06.2019, final hearing not held before 30.06.2019	Appeal No. and Date of Filing	Forum	O-i-O No. and date	Duty/Tax/Ces s Confirmed in the O-i-O	Amount of Duty/Tax/ Cess	Whether Departmenta 1 Appeal is Pending in Relation to the O-i-O	Duty/ Tax/Cess And amount Under dispute	Total amount of duty under dispute	Total amt. of penalty	Total amt. of late fee	Amount of Pre- deposit/ any other deposit of duty	Tax Dues minus Tax relief
		A	A1	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K
								Declarant's App	peal Depart menta Appea (Option Field)	l l ial			
								Duty/Tax/ Ar Cess Ar		Amt			-
9.2 ARREARS	9.2.1 Appeal not filed or appeal having attained finality	Order No		Forum	Duty/Tax/ Cess Confirmed in the O-i-O or O-i-A	Amount of Duty/Tax/ Cess	Amount of Penalty Imposed in the O-i-O or O-i-A	Amount of Late Fee Imposed in the O-i-O or O-i-A	Amount of Pre-deposit or Any Other Deposit of Duty		Tax Dues less	s Tax Relie	f
		1	A	В	С	D	Е	F	G		Н		
	9.2.2 Tax Dues declared in return as payable but not paid	Period for return wa		Date on which return was filed	Description of Goods/ Services	Duty/Tax/ Cess declared as payable in the return but not paid	Amount declared as payable in the return but not paid		Тах Г	Dues less Tax	Relief		
		1	A	В	С	D	Е			F			

	11 0 0 0 0 (1)]							
9.3 Investigation, Enquiry or Audit	9.3.1 Investigation by DGGI	Duty/Tax/Cess	Total Amount Quantified	Reference No. and Date of communica- tion of Quantified Amount	Description of Goods/ Services	Issue Involved	Amount Deposited	Tax Dues less Tax Relief
		A	В	С	D	Е	F	G
	9.3.2 Investigation by Commissionerate	Duty/Tax/Cess	Total Amount Quantified	Reference No. and Date of communi- cation of Quantified Amount	Description of Goods/ Services	Issue Involved	Amount Deposited	Tax Dues less Tax Relief
		A	В	С	D	Е	F	G
	9.3.3 Audit	Duty/Tax/Cess	Total Amount Quantified	Reference No. and Date of communi- cation of Quantified Amount	Description of Goods/ Services	Issue Involved	Amount Deposited	Tax Dues less Tax Relief
		A	В	С	D	Е	F	G
9.4 VOLUI	NTARY DISCLOSURE	Duty/Tax/Cess	Total Amount	Period involved	Description of Goods/ Services	Issue involved		Tax Dues less Tax Relief
		A	В	С	D	Е		F
	10. Do you 11. If you o	do not agree	s, state the	e reasons	for disagre	ement:	ed by the Sys	tem? Yes/No
					VERIFI	CATION	<u>N</u>	
2019	, and agree to	abide by t	he provi	sions and	condition	s of the	Scheme, an	SISPUTE RESOLUTION) SCHEME, and that the information given in this is shown therein are truly stated.
I sha	ıll pay the amou	ınt as may b	e determ	ined by th	e Designat	ted Autho	ority under th	e Scheme.
Nam	ne of declarant/	authorized r	epresent	ative filing	g this decla	aration:		
Date	: dd/mm/20	19						PREVIEW

PREVIEW SUBMIT

Form SVLDRS-2

[Estimate under section 127 of the Finance (No.2) Act, 2019 read with rule 6 of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019 to be issued by the Designated Committee]

SABKA VISHWAS (LEGACY DISPUTE RESOLUTION) SCHEME, 2019

Declaration	No								
SVLDRS-2	No	•••••	•••••						
Commission	erate/DGGI, De	lhi	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•					
Zone/DGGI,	Delhi	•••••	•••••	••••					
	/Ms./M/s e no 2019;								
the designate payable by the	re, in exercise of d committee, after ne declarant towas shwas (Legacy D	er considerations and f	on of facts final settlen	on record, nent of his/	hereby deterr	nines the	following amoun	nt estimate	ed to be
Category	Description of Goods/ Services	Matter involved	Time period	Tax	x dues	Tax relief	Pre-deposit or any other deposit of duty	Estim Amo Paya	unt
A	В	С	D		Е	F	G	Н	
				Name* E1	Amount E2			Name* H1	Amt H2
*Name of Du	tv/Tov/Coss								
requested to	ant does not agreappear for a Pers	sonal Hearing	stimated A g before the (address) t	mount Pay designated to explain t	d committee	on/	/2019 at	AM	/PM at
		<u>Μ</u> ε	embers of t	he Designa	ated Commit	tee			
	ame: ignation:				<u>:</u>	2. Name: Desig	nation:		
Place		is is a compu	ter generate	ed print. Th	ere is no need	d for a sig	gnature)		
	PREVIE	W				SUBMI	T		
	dd/mm/2019								

Form SVLDRS-2A

[Written submissions, waiver of personal hearing and adjournment under section 127 of the Finance (No.2) Act, 2019 read with rule 6 of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019]

SABKA VISHWAS (LEGACY DISPUTE RESOLUTION) SCHEME, 2019

 Do you agree with the Estimate in SVLDRS-2 Number
4. Do you want to upload documents in support of your submissions? Yes No
If Yes, Upload Documents
 5. Do you want to waive personal hearing? Yes No 6. Do you want to seek an adjournment of personal hearing offered to you? Yes No 7. Indicate a preferred date for hearing: dd/mm/2019
8. Name of declarant/ authorized representative:
Date: dd/mm/2019
PREVIEW
Form SVLDRS-2B
[Intimation of personal hearing after adjournment under section 127 of the Finance (No.2) Act, 2019 read with rule 6 of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019]
SABKA VISHWAS (LEGACY DISPUTE RESOLUTION) SCHEME, 2019
To, Mr./Ms./M/s Registration No
This is to inform that the Personal Hearing before the designated committee in relation to the subject Declaration No

Please note that in the event of failure to attend the Personal Hearing the designated committee shall take a decision in regard to your Declaration in accordance with the legal provisions on the basis of the facts on record without further reference to you.

Members of the Designated Committee

(This is a computer generated print. There is no need for a signature)
Place Date
PREVIEW SUBMIT
Form SVLDRS-3
[Statement under section 127 of the Finance (No.2) Act, 2019 read with rule 6 of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019 to be issued by the Designated Committee]
SABKA VISHWAS (LEGACY DISPUTE RESOLUTION) SCHEME, 2019 Declaration No
SVLDRS-3 No
Commissionerate/DGGI, Delhi
Zone/DGGI, Delhi
Whereas Mr./Ms./M/s(hereinafter referred to as the declarant) having registration no./No assessee code no
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4), as the case may be, of section 127 of the Finance (No. 2) Act, 2019, the designated committee, after consideration of relevant material, hereby determines the following amount is payable by the declarant towards full and final settlement of tax dues under

Category	Description of Goods/ Services	Matter involved	Time period	Tax dues		Tax relief	Pre-deposit or any other deposit of duty	Estimated Amount Payable	
A	В	C	D	E		F	G	Н	
				Name*	Amount			Name*	Amt
				E 1	E2			H1	H2

^{*}Name of Duty/Tax/Cess

Notes:

- (3) The Declarant is hereby directed to make payment of the amount payable within thirty days from the date of this Statement.
- (4) The Declarant has to withdraw the writ petition/appeal/reference before(mention the name of the High Court) High Court or the Supreme Court against any order in respect of the tax dues and furnish the proof of such withdrawal in accordance with the provisions contained in sub-section (7) of section 127 of the Finance (No. 2) Act, 2019;

Members of the Designated Committee

				Name* E1	Amount E2			Name* H1	Amt H2
A	В	С	D	E		F	G	H	
Category	Description of Goods/ Services	Matter involved	Time period	Tax dues		Tax relief	Pre- deposit or any other deposit of duty	Estimated Amount Payable	
2) Act, 2019	the designated co determined the a ith the provisions	mount of Rs	S	full and fina	(Rupees Il settlement o) payable by	the dec given be	larant in low:
	had mac							ving reg	gistration
SVLDRS-4 N Commissione	No Ioerate/DGGI, Dell Delhi	hi							
[Discharge Co	ertificate for Full with rule SABKA VISH	9 of the Sabk	tlement of 'a Vishwas	(Legacy Di	nder section 1 spute Resolut	tion) Sche	eme, 2019]		019 read
			SUBMI						
Date:	ld/mm/2019		PREVII	EW					
Name of dec	clarant/ authorized	l representati	ve:						
Document Up	load facility for p	roof of withd	rawal of ca	ise					
Challan Link	facility for duty p	ayment							
			<u>F</u> 0	or Declarar	<u>nt</u>				
			SUBMI						
	(This	s is a compute	er generated	d print. The	re is no need	for a sign	ature)		
2. Nam Design	e: gnation:			2. Name: Designation:					

24	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(i)					
	the declarant has paid Rs (Rupees inned by the designated committee under section 126 of the Finance (No.						
(Appeal) or th	the declarant had filed an appeal before the (mention the CESTAT (Branch name) against any order in respect of the tax due withdrawn in accordance with the provisions contained in sub-section 019;	es and whereas the said appeal i					
OR							
Court) High C the declarant h	he declarant had filed a writ petition/appeal/reference beforeourt or the Supreme Court against any order in respect of the tax dues and as withdrawn the said writ petition/appeal/reference and furnished proof sions contained in sub-section (7) of section 127 of the Finance (No. 2) A	d f of such withdrawal in accordance					
	e, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 127 committee hereby issues this Discharge Certificate to the said declarant:						
(a)	certifying the receipt of payment from the declarant towards full an determined in the Statement Nodatedin acc nodatedmade by the aforesaid declarant;						
(b)	discharging the declarant from the payment of any further duty, interest or penalty with respect to the aforesaid matter;						
(c)	(c) granting immunity, subject to the provisions contained in the Scheme, from instituting any proceeding for prosecution for any offence under the Central Excise Act 1944/ Chapter V of the Finance Act 1994/ Cess Act) or from the imposition of penalty under the said enactment, in respect of the aforesaid matter; and						
(d)	The provisions of sections 129 and 131 of the Finance (No.2) Act 2019 this Discharge Certificate.	9 will be applicable with respect to					
	Members of the Designated Committee						
3. Name Desig		ne: gnation:					
	(This is a computer generated print. There is no need for a significant of the computer generated print) (There is no need for a significant of the computer generated print).	gnature)					
Place Date							
	PREVIEW SUBMIT						

To

- 1. The Declarant
- 2. Adjudicating Officer
- 3. Commissioner of Central Excise, Service Tax and CGST (jurisdictional)
- Chief Commissioner of Central Excise, Service Tax and CGST / Pr. Director General, DGGI 4.
- 5. Concerned Appellate Forum

NB: Delete whatever is not applicable.